न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बरः– 19/2023
निर्णय दिनांकः– 09.12.2024
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. घासीराम पुत्र बख्तावरा, जाति माली, निवासी–ग्राम रामपुरा रेलवे, तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर राज.।

प्रतिवादी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री सीताराम सैनी अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

वाद घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः–09.12.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 55 के आराजी ख.न. 253 रकबा 0. 3541 हैक्टेयर, ख.न. 423 रकबा 4.3913 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 5.0454 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 38 के आराजी ख.न. 319 रकबा 0.2150 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम रामपुरा रेलवे, पटवार हल्का मांदी, भू.अ.नि.क्षेत्र, फागी, तह. फागी, जिला जयपुर, राज० में स्थित है, जिसमें वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है, उक्त आराजी वादी के जायन्द। पिता केरारा एवं दत्तक पिता बख्तावरा की आराजीयात है, जो वादी के नाम लग गई जबकि वादी अपने पिता के जीवनकाल में ही बख्तावरा के गोद चला गया था एवं बख्तावरा कीचल–अचल सम्पत्ति व खातेदारी भूमि का वादी के नाम नामान्तकरण खुल गया। वादी अनपढ़ व काश्तकार पैसा व्यक्ति है, इसलिए यादी को गांव में बचपन में धीस्या पुत्र बख्तावरा पौता ईसरा व धासी पुत्र केसरा के नाम से पुकारने से विरासत के नामान्तिकरण से राजस्व रिकार्ड के खाता संख्या 55 में वादी का नाम घासीराम पुत्र बख्तावरा की जगह धीस्या पुत्र बख्तावरा पौता ईसरा व खाता संख्या 38 में वादी का नाम घासी पुत्र केसरा दर्ज हो गया। उक्त राजस्व रिकार्ड में घीस्या पुत्र बख्तावरा पौता ईसरा व घासी

लगातार...............2

9/12/24
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

पुत्र केसरा के स्थान पर घासीराम पुत्र बख्तावरा नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। घीस्या पुत्र बख्तावरा पौता ईसरा, धासी पुत्र केसरा एवं घासीराम पुत्र बख्तावरा, जाति माली, ग्राम रामपुरा रेलवे, तह. फागी में एक ही व्यक्ति है इस नाम के अलावा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम रामपुरा रेलवे में नहीं है। बल्कि वादी का मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशन कार्ड एवं बैंक पास बुक में नाम घासीराम पुत्र बख्तावरा दर्ज है जिससे पूर्णतया सिद्ध होता है कि वादी का नाम घासीराम पुत्र बख्तावरा सही है इसलिये वादी का नाम घीस्या पुत्र बख्तावरा पौता ईसरा व घासी पुत्र केसरा की जगह घासीराम पुत्र बख्तावरा राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये वादी उक्त आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरस्ती इन्द्राज करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादी ने उक्त आराजीयात को काफी पैसा खर्च कर समतल व उपजाऊ बना लिया है उक्त आराजयात का वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं शान्ति पूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन राजकीय कर्मचारियों के संहवन से एवं वादी के अनपढ़ व काश्तकार होने से उक्त सही नाम की जानकारी नहीं हुयी एवं वादी को घीस्या पुत्र बख्तावरा पौता ईसरा व घासी पुत्र केसरा के नाम से पुकारते थे इसलिये दोनों ही नामों से उक्त आराजी के विरासत के नामान्तकरण में नाम भी घीस्या पुत्र बख्तावरा पौता ईसरा व घासी पुत्र केसरा हो गया जबकि वादी का नाम घासीराम पुत्र बख्तावरा सही है उक्त रिकार्ड में घासीराम पुत्र बख्तावरा की जगह घीस्या पुत्र बख्तावरा पौता ईसरा व घासी पुत्र केसरा हो गया जो गलत है जबकि वादी का नाम घासीराम पुनः बख्तावरा सही है जिसका राजस्व रिकार्ड में वादी अपना नाम दुरूस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है। अभी हाल ही में दिनांक 09.02.2023 को वादी ने अपनी खातेदारी भूमि का किसान कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का से नकले प्राप्त करने पर अपने नाम की जानकारी हुई पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि आपका नाम रिकार्ड में घीस्या पुत्र बख्तावरा पौता ईसरा व घासी पुत्र केसरा है जबकि सही नाम घासीराम पुत्र बख्तावरा है जिसको सक्षम न्यायालय में आदेश करवाने बाबत कहा गया इसलिये मान्य न्यायालय में वादी द्वारा उक्त वाद घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज का पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी का वाद कौरण दिनांक 09.02.2023 को पटवारी हल्का द्वारा सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने व बैंक द्वारा लोन नहीं देने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ है, जो निरन्तर जारी है। वादी का वाद अंदर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी को लैण्ड होल्डर होने से एवं दावा दुरस्ती इन्द्राज का होने से पक्षकार कायम किया गया है। पक्षकारान का निवास स्थान व विवादित आराजीयात् मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से श्रीमान् न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

9/12/24

लगातार...............3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार फागी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसलिए प्रतिवादी सं. 01 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076—2079 वाके ग्राम रामपुरा रेल्वे मे स्थित उक्त विवादग्रस्त आराजी खाता सं. 55 में वादी के नाम हिस्सा पूर्ण तथा खाता सं. 38 में वादी के नाम हिस्सा 8/9 व 1/9 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2021 पारित डिक्री मु.नं. 134/2019 उनवान घासीराम बनाम तहसीलदार फागी में घीसया पुत्र केसरा के स्थान पर घासीराम पुत्र बख्तावरा दुरूस्त किया गया था। वादी के अन्य दस्तावेज यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, आदि में नाम घासीराम पुत्र बख्तावरा दर्ज है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक मे न्यायालय वादी का वाद डिकी किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं0 55 के आराजी ख.न. 253 रकबा 0. 3541 हैक्टेयर, ख.न. 423 रकबा 4.3913 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 5.0454 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 38 के आराजी ख.न. 319 रकबा 0.2150 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम रामपुरा रेलवे तहसील फागी में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन घीस्या पुत्र बख्तावरा पौता ईसरा व घासी पुत्र केसरा के स्थान पर घासीराम पुत्र बख्तावरा दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को सरे इंजलास सुनाया गया।

9/12/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी, फागी
जिला—जयपुर

घासीराम बनाम तहसीलदार
मु0न0:– 19/2023
निर्णय दिनांक:– 09.12.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत -- उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. घासीराम पुत्र बख्तावरा जाति माली निवासी ग्राम रामपुरा रेलवे तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर राज0।

प्रतिवादी

::– वाद घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0न0:– 19/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री सीताराम सैनी हाजिर रूबरू प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतोनी सं0 55 के आराजी ख.न. 253 रकबा 0. 3541 हैक्टेयर, ख.न. 423 रकबा 4.3913 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 5. 0454 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 38 के आराजी ख.न. 319 रकबा 0.2150 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम रामपुरा रेलवे तहसील फागी में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन घीस्या पुत्र बख्तावरा पौता ईसरा व घासी पुत्र केसरा के स्थान पर घासीराम पुत्र बख्तावरा दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।

निज.........X.........मुबलिग.........X.........बाबत.........X.........खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....X.........फीसदी.........X.........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ...X.........का अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.12.2024 को जारी की गई।

दस्तखत.........उपखण्ड अधिकारी
ओहदा.........फागी, जयपुर

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू